भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-191

उत्तर देने की तारीख-04/12/2023

उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने वाले छात्र

†191. श्री जी. एम. सिद्देश्वरः

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि हर साल लगभग 10-12 लाख छात्र उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाते हैं जो देश में शिक्षा के स्तर को दर्शाता है;

(ख) यदि हां, तो देश के बाहर शिक्षा प्राप्त करने के लिए हर साल कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की जाती है;

(ग) क्या सरकार देश में ही गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षण संस्थान (एचईआई) विकसित करके उक्त प्रवृत्ति को रोकने के लिए किसी कार्य-योजना पर काम कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो योजना/प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(डॉ. सुभाष सरकार)

(क): विदेश मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार विदेशों में पढ़ रहे भारतीयों की संख्या लगभग 13 लाख है।

(ख): शिक्षा मंत्रालय देश के बाहर शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रत्येक वर्ष खर्च की जाने वाली विदेशी मुद्रा के आंकडे नहीं रखता है।

(ग) और (घ): राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 में लचीले पाठ्यक्रम के साथ व्यापक, बहु-विषयक, समग्र शिक्षा, विषयों के रचनात्मक संयोजन, व्यावसायिक शिक्षा के एकीकरण और उचित प्रमाणन के साथ कई प्रवेश और निकास बिंदुओं की परिकल्पना की गई है। सरकार ने

भारत में गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षण संस्थान (एचईआई) विकसित करने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनका विवरण इस प्रकार है:

एकेडमिक बैंक ऑफ क्रैडिट्स विभिन्न मान्यता प्राप्त उच्च शिक्षा संस्थानों से अर्जित अकादमिक क्रैडिट्स को डिजिटल रूप से संग्रहीत करता है ताकि अर्जित किए गए क्रैडिट्स को ध्यान में रखते हुए किसी संस्थान से डिग्री प्रदान की जा सके।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने "उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रस्तावित शैक्षिक कार्यक्रमों में बहुप्रवेश और निकास हेतु दिशा-निर्देश" जारी किए हैं। बहु-प्रवेश और निकास एक ऐसे छात्र के लिए आवश्यक लचीलापन और उचित निकास विकल्प प्रदान करता है, जो विभिन्न चरणों में अपने अध्ययन को बंद कर सकता है और उच्च स्तर पर शिक्षा जारी रखने के लिए फिर से प्रवेश ले सकता है।

उच्च शिक्षा संस्थानों में विषयक सीमाओं की कठोरता को देखते हुए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने "उच्च शिक्षा संस्थानों को बहु-विषयक संस्थानों में परिवर्तित करने के लिए दिशानिर्देश" तैयार किए हैं।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (ट्विनिंग, संयुक्त डिग्री और दोहरी डिग्री कार्यक्रम की पेशकश के लिए भारतीय और विदेशी उच्च शैक्षणिक संस्थानों के बीच शैक्षणिक सहयोग) विनियम, 2021 के अंतर्गत छात्र भारतीय और विदेशी दोनों विश्वविद्यालयों से अपने कार्यक्रमों के कुछ भागों को पूरा करने में समर्थ होंगे।

उच्च शिक्षण संस्थानों को राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) और प्रत्यायन में भाग लेने के लिए सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जा रहा है। संशोधित प्रत्यायन ढांचा (आरएएफ) 70% मात्रात्मक और 30% गुणात्मक आकलन के साथ जारी किया गया है।

देश में उच्च शिक्षा संस्थानों को किफायती विश्व स्तरीय शैक्षणिक और अनुसंधान सुविधाएं उपलब्ध कराने में सक्षम बनाने के लिए वर्ष 2017 में विश्व स्तरीय संस्थान योजना शुरू की गई थी। इस योजना के नियामक ढांचे में सार्वजनिक और निजी श्रेणी प्रत्येक से 10 संस्थानों की पहचान करने का प्रावधान है ताकि उन्हें 'उत्कृष्ट संस्थान' (आईओई) का दर्जा दिया जा सके। अब तक, 12 संस्थानों को 'उत्कृष्ट संस्थान' (आईओई) के रूप में अधिसूचित किया गया है, जिसमें 08 संस्थान सार्वजनिक श्रेणी से और 04 संस्थान निजी श्रेणी से हैं। योजना के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए 'उत्कृष्ट संस्थानों' (आईओई) को प्रशासनिक, शैक्षणिक और वित्तीय मामलों में महत्वपूर्ण स्वायत्तता प्रदान की गई है। सार्वजनिक 'उत्कृष्ट संस्थानों' (आईओई) को

भी योजना के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपनी योजनाओं को लागू करने हेतु 5 वर्षों की अवधि में 1000 करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच (एनईटीएफ) अधिगम, मूल्यांकन, योजना, प्रशासन को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग पर विचारों के मुक्त आदान-प्रदान के लिए एक मंच प्रदान करता है। समर्थ छात्रों, कर्मचारियों और अन्य हितधारकों के लिए सेवाओं की योजना, प्रबंधन, वितरण और निगरानी के लिए एक डिजिटल रूपरेखा के माध्यम से विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों (एचईआई) को सक्षम करने के लिए एक पहल है।

भारतीय आईटी उद्योग की बढ़ती कौशल चुनौतियों को हल करने और घरेलू आईटी बाजार के विकास के लिए, आईटी में विश्व स्तरीय मानव संसाधन प्रदान करने, देश में आईटी उद्योग के लिए उपलब्ध मानव पूंजी को विकसित/सुदृढ़ करने और विभिन्न डोमेन में आईटी के बहुआयामी पहलुओं का उपयोग करने की दृष्टि से शिक्षा मंत्रालय ने भारत में गैर-लाभकारी सार्वजनिक निजी भागीदारी (एन-पीपीपी) आधार पर पांच केंद्रीय वित्त पोषित भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईआईटी) और बीस आईआईआईटी की स्थापना की है।

उपरोक्त के अतिरिक्त, राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 की सिफारिशों के अनुसार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों के कैंपस को खोलने संबंधी विनियम जारी किए गए हैं।

विश्व-स्तरीय विदेशी विश्वविद्यालयों और संस्थानों को गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी (गिफ्ट सिटी) में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) को छोड़कर, घरेलू नियमों से मुक्त वित्तीय प्रबंधन, फिनटेक, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित में पाठ्यक्रम प्रदान करने की अनुमति है। ऑस्ट्रेलिया से डीकिन विश्वविद्यालय और वोलोंगोंग विश्वविद्यालय को गिफ्ट सिटी में अपने परिसर स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया है।

*****